

प्रेषक,

डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ०प्र० लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक: 23 अप्रैल, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए वायुबिलिटी गैप फण्डिंग (वी०जी०एफ०) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 30/ना०उ०नि०/2019 दिनांक 11 अप्रैल, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लि० द्वारा लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-इलाहाबाद-लखनऊ रूट तथा नागपुर-इलाहाबाद-इन्दौर-इलाहाबाद-नागपुर रूट पर माह जनवरी, 2019 की अवधि के लिए वायु सेवा के संचालन के लिए एम०ओ०यू० के प्रविधानों के अनुरूप वी०जी०एफ० क्लेम के रूप में रू० 1,43,08,776/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी०जी०एफ० (राज्यांश) के भुगतान हेतु रू० 28,61,755/- (रुपया अट्टाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पचपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम०ओ०यू० के प्रस्तर- 4.2.2(e) के प्राविधान के अनुसार आर०सी०एस० स्कीम के अन्तर्गत वायुबिलिटी गैप फण्डिंग (वी०जी०एफ०) के 20% अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लि० द्वारा लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-इलाहाबाद-लखनऊ रूट पर तथा नागपुर-इलाहाबाद-इन्दौर-इलाहाबाद-नागपुर रूट पर माह जनवरी, 2019 की अवधि के लिए वायु सेवा के संचालन के लिए एम०ओ०यू० के प्रविधानों के अनुरूप वी०जी०एफ० क्लेम के रूप में रू० 1,43,08,776/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी०जी०एफ० (राज्यांश) के भुगतान हेतु रू० 28,61,755/- (रुपया अट्टाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पचपन मात्र) की वित्तीय

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्वीकृति प्रदान की जानी है। उक्त धनराशि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु कार्यान्वयन संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गठित रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट के माध्यम से सम्बन्धित एयरलाइन कम्पनी को भुगतान की जानी है। अतः श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त आर0सी0एस0 वायु सेवा हेतु एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप 20% वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रु0 28,61,755/- (रुपया अट्ठाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पचपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 28,61,755/- (रुपया अट्ठाईस लाख इकसठ हजार सात सौ पचपन मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- प्रश्रुगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/ प्रतिबन्ध के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायुबिलिटी गैप फण्डिंग -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पू0सं0: 47/2019/838(1)/छप्पन-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
- 5- महाप्रबन्धक (एफ0 एण्ड ए0)-आर0सी0एस0, रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।